JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Proceedings of Projects and Works Committee Meeting -10/2021-2022

Meeting of Projects and Works Committee 10/2021-22 was held on 03.11.2021 under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner Shri Gaurav Goyal in "**Manthan**" at 12.30 PM. The list of officers who attended the meeting is enclosed. After discussions on the agendas, the decisions made by the committee are as under:

Agenda Item No.	OIC	Subject/Agenda Details	Decision taken	Action to be taken by
1	MS PWC	Confirmation of proceeding of 8/2021-22 PWC meeting held on 22.09.21	Proceedings of 8/2021-22 PWC Meeting held on 22.09.2021 were confirmed.	MS PWC
2	MS PWC	Compliance report of decision taken in PWC Meeting 09 /2021-22 held on 21.10.2021	Compliance report of the decision taken in PWC Meeting 09 /2021-22 held on 21.10.2021 were acknowledged.	MS PWC
3	DC-8	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) के बड़े भूखण्डो के तीन ब्लॉक के स्थान पर छोटे भूखण्डो की प्लानिंग कर मानचित्र संशोधित करने बाबत।	उपायुक्त जोन 8 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) के बड़े भूखण्डो के तीन ब्लॉक के स्थान पर छोटे भूखण्डो की प्लानिंग कर मानचित्र संशोधित करने बाबतं प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। समिति द्वारा री–प्लानिंग प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर यह रेखांकित किया गया कि इस योजना की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही 1988 व 2002 में प्रारम्भ की गई थी। आज इतने लंबे अन्तराल के बाद भी काश्तकारो/खातेदारो/हितबद्व व्यक्तियों की उनकी अवाप्त/समर्पित भूमि के मुआवजे के रुप मे विकसित भूमी नही मिल पाने के कारण यह योजना आज दिनांक तक भी सुचारु रुप से कियान्वित नही हो पाई है। माननीय उच्च न्यायालय में कई रिट योचिकाएं लम्बित होने और स्थगन प्रभावी होने से काश्तकारो /खातेदारो/हितबद्व व्यक्तियों को विकसित भूखण्ड न मिल पाने से योजना में मकड़जाल की स्थिति बन गई है। पूर्व में इस योजना बाबत कई निर्णय लिए गये है:– जविप्रा की कार्यवाही समिति की 231वी बैठक दिनांक 08.02.2021 के एजेण्डा सं0 231.11 में निर्णय लिया गया	DC-8

17/11

			कि जोन द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्लानिंग में आंशिक री–प्लानिंग इस प्रकार से प्रस्तावित की जाए कि समस्त खातेदारो को मुआवजे के रुप में दिये जाने वाले आवासीय/व्यावसायिक विकसित भूखण्ड इसी योजना में उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.02.2021 में लिए गये निर्णयो की अनुपालना भिजवाये जाने के क्रम में भी री–प्लानिंग आवश्यक है। योजना क्षेत्र में अवार्ड के अनुसार कुल 333 खातेदार है। इनमें से 113 खातेदारो द्वारा विकसित भूमि की मांग की गई है। 86 खातेदारो/प्रकरणों में आरक्षण पत्र जारी किये जा चुके है जिन्हे लगभग 17.5 है0 विकसित भूमि दी जानी है। उक्त 86 खातेदारो में से 34 ने आरक्षण पत्रो का विक्रय कर दिया है जिसमें लगभग 15 है0 विकसित भूमि सन्निहित है। प्रभावित काश्तकारो/खातेदारो/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा छोटे भूखण्डो (150व.मी., 200 व.मी.आदि) की मांग की गई है। प्रस्तावित री–प्लानिंग में कुल 299 छोटे भूखण्ड प्लान किये गए है जिसमें 150 से 800 व.मी. तक के भूखण्डो की री–प्लानिंग प्रस्तावित की गई है। समिति द्वारा जोन –8 द्वारा प्रस्तुत री–प्लानिंग प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर इसे अनुमोदित किया गया। चूकि उक्त री–प्लान की कार्यवाही मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी के क्रियान्वयन हेतु की जा रही है। अतः निर्णय से माननीय अध्यक्ष महोदय व प्रमुख शासन सचिव UDH को भी अवगत करवाया जावे	
4	**EE-Garden-II**	Proposal for sanction of A&F for Construction and development of parks in Loha Mandi Scheme, JDA, Jaipur amounting to Rs. 408.20 lacs	The Agenda was presented by EE-Garden-II. After discussions and deliberations, the committee approved the A&F sanction for Construction and development of parks in Loha Mandi Scheme, JDA, Jaipur amounting to Rs. 408.20 lacs	**EE-Garden-II**
5	**EE-PHE-I**	Proposal of A&F sanction for supply, installation & Maintenance of online continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) for STPs under JDA amounting to Rs. 3,65,09,200.00	The Agenda was presented by EE-PHE-I. After discussions and deliberations the committee approved the A&F sanction for supply, installation & Maintenance of online continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) for STPs under JDA amounting to Rs. 3,65,09,200.00	**EE-PHE-I**

6	EE-7	Proposal for A&F sanction for the work "Renewal of 200' wide and 80'wide sector roads in Sector 56 Zone-7 JDA, Jaipur amounting to Rs. 2,40,49,242.00	The Agenda was presented by EE-7. After discussions and deliberations the committee approved the A&F sanction for the work "Renewal of 200' wide and 80'wide sector roads in Sector 56 Zone-7 JDA, Jaipur amounting to Rs. 2,40,49,242.00	EE-7

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

(Niranjan Mathur)
Addl. Chief Engineer-IV
& MS PWC
Dated: 17-11-2021

No.JDA/EE-5/PWC/2020-21/D-456

Copy to following for kind perusal and necessary action:

1.P.S. to Jaipur Development Commissioner, Jaipur.
2. P.S. to Secretary, Jaipur Development Authority, Jaipur.
3. P.S. to Collector, Jaipur
4. Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur.
5. Director (Engineering-I), Jaipur Development Authority, Jaipur.
6. Director (Engineering-II), Jaipur Development Authority, Jaipur.
7. Director (Finance),Jaipur Development Authority, Jaipur.
8. Director (T.P.),Jaipur Development Authority, Jaipur.
9. Addl. Chief Engineer, I/II/III/V/VI, Electrical, JDA, Jaipur
10. Addl. Commissioner (East/West/LPC/ Land/Admn, JDA, Jaipur.
11. S.E.-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII,XIV,Electrical, JDA, Jaipur.
12. Deputy Commissioner (   ), Jaipur Development Authority, Jaipur.
15. Executive Engineer (   ), Jaipur Development Authority, Jaipur.
16. PRO, Jaipur Development Authority, Jaipur.
17. System Analyst, JDA, Jaipur. /PMIS Cell

17/11/21
Executive Engineer-5,
JDA, Jaipur